


राजस्थान सरकार
 न्यायालय मू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाड़ा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट) कैम्प 2018

- आदेश :-

प्राणी के खाता दुहरती प्रार्थना पत्र एवं पहचारी **ल्ला-७३** व मू.अभिलेखरी रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुसूचा के आधार पर राजस्थान नू- राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में सम **ल्ला-७३** तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत सम्म **2070-73** में खाता संख्या **163, 83** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दशमद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	ल्ला-७३	83	जमनापिता छुजा ल्ला	जगन्नाथ पिता सुभा ल्ला
		163	जमना पिता सुभा ल्ला	जगन्नाथ पिता सुभा ल्ला

(सहस्री) 
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट
 मू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाड़ा

क्रमांक - 352/18

दिनांक - 11/5/18

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल रीध किया जाकर बालना रिपोर्ट भेजवाये।
2. प्राणी श्री **जगन्नाथ/सुभा पिता सुभा** को सूचनाएं।
3. रक्षित भद्रावली

(सहस्री) 
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट
 मू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाड़ा